न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 68/2012

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गोविन्द राम पुत्र बुधाराम जाति नायक निवासी खारामांजरा तहसील जायल जिला नागौर (फौत) के कायम मुकामान – 1/1 दौलतराम 1/2 भंवरलाल 1/3 कालूराम पुत्रान स्व. गोविन्दराम 1/4 जानादेवी पुत्री स्व. गोविन्दराम 1/5 सरला देवी पुत्र स्व. गोविन्दराम 1/6 तुलछा देवी पुत्र स्व. गोविन्दराम 1/7 मोहनी देवी पत्नी स्व. गोविन्दराम		1सुरजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर। 2फूली देवी पत्नी धरमा राम जाति नायक 3मदन पुत्र धरमाराम जाति नायक निवासीगण सादुलगंज, ढोला मारू के पीछे, मकान नं. 174, बीकानेर। 4तहसीलदार जायल।

उपस्थिति –

1श्री अशोक वैष्णव वकील अपीलांट की ओर से।

2श्री भंवर लाल पोटलिया वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

3श्रीमती अर्चना पारीक वकील रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।

4श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.10.20

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा खारा मांजरा के नामान्तरकरण सं. 61 दिनांक 31.03.1987 से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.06.12 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.07.2012 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर श्री भंवर लाल पोटलिया अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है, रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्रीमती अर्चना पारीक अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन मे ग्राम खारामांजरा के नामान्तरकरण सं. 61 दिनांक 31.3.87 की फोटोप्रति, माननीय जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत शिकायत पत्र की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर जायल के पत्र दिनांक 3.4.12 तथा 26.12.11 की फोटोप्रतियां, एसडीओ नागौर के पत्र दिनांक 7.5.12, 11.1.12, 21.11.11 तथा 13.12.11 की फोटोप्रतियां, जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रस्तुत पत्र दिनांक 14.1.11, 18.7.11 तथा 5.10.11 की फोटोप्रतियां तथा गोविन्दराम के मृत्यु प्रमाण की फोटोप्रति पेश की। प्रकरण मे वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा मियाद एवं क्षेत्राधिकार को लेकर दिनांक 2.7.13 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। जिनका जवाब वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 7.10.13 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वकील अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के अन्तर्गत दिनांक 23.9.19 को प्रस्तुत अपील आवश्यकता होने पर रेफरेन्स मानकर कार्यवाही करवाये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस दिनांक 23.09.19 को प्रस्तुत की गई है। प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं मेरिट पर संपूर्ण मामले की बहस एक साथ ही सुनी गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

{2}(1)–वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी उजरदारी प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.13 बाबत लिमिटिशेन के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि अपीलांट ने राजस्व वाद सं. 700/86 निर्णय दिनांक 17.2.87 की पालना मे म्यूटेशन जैर अपील भरना बताया है एवं 25 वर्ष का मियाद के बिन्दु को कन्डोन करने हेतु अपील के साथ आवेदन पेश करना बताया है। उक्त अपील मे राजस्व वाद का निर्णय दिनांक 17.2.87 की पत्रावली महत्वपूर्ण है। जिसके आधार पर म्यूटेशन जैर अपील भरा गया था। जिससे उक्त पत्रावली भी तलब की जाकर मियाद के बिन्दु का निर्धारण किया जाना चाहिये। अपील की जो प्रति रेस्पोडेन्ट को दी गई है। उसमे वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट कौन है एवं टाईटल मे पूर्वी कांट छांट है। जिससे अपील के टाईटल की पूरी जानकारी नही हो रही है।

{2}(2)–वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.13 को म्यूटेशन क्षेत्राधिकार बाहर होने को लेकर बहस शुरू करते हुए अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि अपीलांट ने उक्त अपील

न्यायालय अपर कलक्टर नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

राजस्व वाद सं. 700/86 के निर्णय दिनांक 17.2.86 सहायक जिलाधीश नागौर के निर्णय की पालना मे उक्त म्यूटेशन भरना बताया है। अपीलाधीन म्यूटेशन एक सामान्य वाद के आधार पर भरा होना बताया एवं उक्त निर्णय आज दिन तक यथावत है एवं 25 वर्ष पूर्व का निर्णय है। उक्त निर्णय जब तक किसी सक्षम अदालत द्वारा खारिज नही कर दिया जाता तब तक निर्णय आधार पर अदालत के आदेशानुसार भरे गये म्यूटेशन को न्यायालय हाजा मे चैलेंज नही किया जा सकता। क्योकि न्यायालय हाजा को सहायक कलक्टर जायल के निर्णय की अपील सुनने का वैधानिक अधिकार नही है। जिससे उक्त अपील क्षेत्राधिकार की नही होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु के आधार पर ही अपील खारिज की जावे।

{2}(3)–वकील अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अपील के साथ अपीलांट ने धारा 5 कानून मयाद का आवेदन पेश किया है। अपीलांट ने रेकर्ड रूम नागौर से एंव सहायक जिला कलक्टर जायल से प्रकरण राजस्व वाद सं. 700/86 निर्णय दिनांक 17.2.87 नकलो हेतु करीब 2–3 साल तक चक्कर लगाये एवं जिला कलक्टर नागौर से भी नकल दिलाने बाबत किया। परंतु आज तक नकल नही मिली इसलिये न्यायालय हाजा उक्त पत्रावली तलब करावे तो अपीलांट को कोई आपति नही है। अपील मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुरजाराम पुत्र भूराराम जाट निवासी झाडेली है। जिसका वकील श्री भंवरलाल पोटलिया ने वकालतनामा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

{2}(4)–वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि राजस्व वाद सं. 700/86 निर्णय दिनांक 17.2.86 की पत्रावली रेस्पोडेन्ट सं. 1 पहुचवान है एवं संबंधित रेकर्ड अधिकारी से मिलकर अपीलांट को उपलब्ध नही करवा रहा है। अपीलांट 3–4 साल से चक्कर लगा रहा है। अनुसूचित जाति के खातेदारी की भूमि किसी भी कानून एवं निर्णय से स्वर्ण जाति की खातेदारी मे नही प्राप्त हो सकती है। यह स्पष्ट कानून है। जो सभी जानते है। इस प्रकरण मे भी अपीलांट नायक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं गलत निर्णय अधीनस्थ न्यायालय को धोखे मे रखकर करवाया है। जो नामान्तरकरण भी निरस्त किया जा सकता है एवं राजस्व मंडल मे रेफरेन्स भी किया जा सकता है।

{2}(5)–वकील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.9.2019 की ओर ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि अपीलांट ने राजस्व वाद सं. 700/86 निर्णय दिनांक 17.2.87 के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण गलत रूप से स्वीकार किया गया। वो उसके क्षेत्राधिकार का न होकर ग्राम पंचायत झाडेली के क्षेत्राधिकार का था तथा सहायक कलक्टर का निर्णय पूर्ण रूप से गलत एवं कानून के विपरीत होकर नामान्तरकरण नही करके उक्त निर्णय के विरूद्व रेफरेन्स करना चाहिये था। जो नही किया गया है। इसलिये प्रकरण मे रेफरेन्स की कार्यवाही कर राजस्व मंडल को रेफरेन्स भिजवाया जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1958 पेज 89 से 91 नजीर प्रस्तुत की।

{2}(6)–वकील रेस्पोडेन्ट का कथन रहा है कि अपीलांट ने अपील सहायक जिलाधीश के राजस्व वाद सं. 700/86 निर्णय दिनांक 17.2.87 की अनुपालना मे भरे गये म्यूटेशन सं. 61 के संबंध मे पेश की है। उक्त निर्णय न्यायिक अदालत का निर्णय है तथा निर्णय के खिलाफ मात्र राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील ही हो सकती है। अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अथवा न्यायिक निर्णय को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। जिससे अपील क्षेत्राधिकार के बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। राजस्व वाद का निर्णय दिनांक 17.2.87 होना बताया गया है एवं तहसीलदार द्वारा म्यूटेशन दिनांक 5.3.87 का होना उल्लेख किया गया है। अपील वर्ष 2012 मे प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपील 25 वर्ष के लंबे अर्से के पश्चात पेश की गई है। जिससे अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जानी चाहिये।

{3}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम खारामांजरा के नामान्तरकरण सं. 61 स्वीकृति दिनांक 31.03.87 जो कि तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक भू अभिलेख/87/725 दिनांक 5.3.87 एवं सहायक जिलाधीश जायल के राजस्व वाद सं. 700/86 के निर्णय दिनांक 17.2.87 का हवाला देते हुए स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.6.12 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपीलांट द्वारा भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट सेना से सेवानिवृत व्यक्ति रहा है तथा देरी के कारण बताये गये जो माकूल आधार पर प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पोडेन्ट सं. 4 तहसीलदार जायल द्वारा उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही सहायक जिलाधीश जायल के राजस्व वाद सं. 700/86 निर्णय दिनांक 17.2.87 की अनुपालना मे स्वीकृत किया जाना

अपर कलक्टर, नागौर

अभिलेख से स्पष्ट है। उक्त नामान्तरकरण न्यायिक आदेश की पालना मे भरा गया है। न्यायिक आदेश के अनुसार नही भरा गया हो, या कोई त्रुटि की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। यदि न्यायिक आदेश से अपीलांट असंतुष्ट हो तो उसके द्वारा सक्षम न्यायालय मे अपील/रेफरेन्स की कार्यवाही करने हेतु वो स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारों पर प्रतीत नही होती है।

{4}—उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज की जाती है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के राजस्व वाद सं. 700/86 मे पारित निर्णय दिनांक 17.2.87 के द्वारा मौजा खारामांजरा के खसरा नं. 124 रकबा 21.19 बीघा गोविन्द पुत्र बुधा कौम नायक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि बन्नाराम, भूराराम पिता जेठाराम कौम जाट स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष मे खातेदारी दी गई है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होना प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार जायल को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित सभी तथ्यों को संकलित कर प्रकरण का विधिक परीक्षण करे तथा उक्त निर्णय दिनांक 17.2.87 विधि विरूद्व हो तो सक्षम न्यायालय मे अपील/रेफरेन्स की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

{5}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर